न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2007

उनवान

श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री लादू जाति सरगरा निवासी ग्राम अरड़का तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी द्वारा मोहनपुरी गोस्वामी पुत्र शंकरपुरी गोस्वामी, चांदपोल के बाहर, संतोषीनगर कांकरोली तहसील कांकरोली जिला राजसमन्द मृतक जरिये वारिसान
   1/1 सोहन कंवर पत्नी स्व. गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी अरड़का तहसील व जिला अजमेर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अरड़का तहसील व जिला अजमेर मृतक जरिये वारिसान
   2/1 पुष्पा कंवर पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम अरड़का तहसील व जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित–

1. श्री वी.पी. सिंह राजावत — अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ — अभिभाषक अप्रार्थीगण

आदेश — दिनांक –25.06.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है हाजा न्यायालय के प्रकरण संख्या 32/98 बउनवान श्री दिलीप कुमार बनाम श्री गोपालसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 5.03.99 इस आशय का पारित किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद प्रार्थी श्री दिलीप कुमार ने राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के प्रकरण संख्या 18/99/75 बउनवान दिलीप कुमार बनाम गोपाल सिंह व अन्य में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 01.09.2000 पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 5.3.99 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी गोपाल सिंह व अन्य बनाम दिलीप कुमार ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 43/2000/अपील/एलआर/ अजमेर प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 13.9.2004 पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 01.09.2000 तथा जिला कलेक्टर अजमेर का निर्णय दिनांक 5.3.99 निरस्त किये जाकर प्रकरण जिला कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे वर्तमान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई कर दोनो पक्षकारो को समुचित अवसर प्रदान कर इस

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

सबंध में विधि के प्रावधानो एवं न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखकर नियमानुसार निर्णय पारित करे। उक्त पत्रावली प्राप्त होने पर सुनवाई हेतु नियत की गई।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया तथा सम्बन्धित न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि पुराने खसरा नम्बर 1219 जिसका नया खसरा नम्बर 1375 बना है जिसका कुल क्षेत्रफल 3 बीघा 1 बिस्वा ग्राम अरडका का कानून के विपरीत दिनांक 20.7.92 को नियमन अप्रार्थीगण के नाम उपखंण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा किया गया है। उक्त भूमि को आवंटित व नियमित करने से पूर्व नियम 7 आवंटन नियम 1970 के तहत कोई उदघोषणा जारी नहीं की गई न ही किसी भी नियम की पालना की गई व नियमों के कतई विपरीत उक्त भूमि का नियमन अप्रार्थीगण के नाम चुपचाप अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का की मदद से करवा लिया जो निरस्तनीय है। आराजी मुतनाजा पर सन् 1960 से भी पूर्व से प्रार्थी के पिता व प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी का कब्जा होते हुये भी विपक्षीगण ने गलत तौर पर बिना किसी आधार के आराजी मुतनाजा का नियमन उसका कब्जा आराजी मुतनाजा पर न होते हुये भी पटवारी की मिलीभक्ति से करवा लिया है, जो नियमों के कतई विपरीत होने से निरस्तनीय है। विपक्षीगण को किया गया छोटी पट्टी का आवंटन व नियमन भी नियम 19 के तहत कतई अवैधानिक है क्योंकि छोटी पट्टा का आवंटन व नियमन केवल एडजोईन्डिग फील्ड होल्डर को ही किया जा सकता है जबकि खसरा नम्बर 1375 के पास विपक्षीगण की कोई जमीन नहीं है। अतः विपक्षीगण को किया गया नियमन कतई अवैधानिक व नियमों के कतई विपरीत है। विपक्षीगण को किया गया आवंटन बिना किसी कोरम के व बिना किसी आवंटन कमेटी के सदस्यों को सूचना दिये बिना व बिना किसी आधार के केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व कैम्प में किया है जो नियम 13 (1 से 6) के कतई विपरीत है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा पर अपने पिता के समय से काबिज है व प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण नियम II के तहत भी प्राथमिकता के आधार पर आराजी मुतनाजा का नियमन कराने का पात्र है। किन्तु प्रार्थी को बिना किसी सूचना के प्रार्थी–विपक्षीगण ने पटवारी हल्का की मदद से अराजी मुतनाजा का आवंटन व नियमन चुपचाप अपने पक्ष में करवा लिया है। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति नहीं है, उनके खाते में शुरू से ही काफी भूमि है इस तथ्य को छुपाकर विपक्षीगण ने गलत तौर पर आवंटन अपने पक्ष में करवा लिया है। राजस्व अभियान के तहत भी केवल भू संशोधन में खातेदारी अधिकार दर्ज होने वाले व्यक्तियों को ही भूमि का नियमन का पात्र माना गया था किन्तु खसरा नम्बर 1375 का भू संशोधन का परचा भी विपक्षीगण के पक्ष में नहीं था फिर भी राज्य सरकार के परिपत्रो की मंशा के विपरीत व नियमों के विपरीत विपक्षीगण ने नियमन करवाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/नियमन दिनांक 20.07.92 कानून के कतई अवैधानिक होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को नियमन से पूर्व नियमों के तहत निधारित सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण कर ही नियमन किया गया है। राजस्व कैम्प राज्य सरकार के निर्देशो के अनुसार चलाये जाते है। कैम्प में बैठक से पूर्व एजेण्डा जारी किया जाता है उद्घोषणा जारी कर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते है तथा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की बैठक से पूर्व कोरम पूर्ण होने पर निर्णय लिये जाते है। अतः वकील प्रार्थी का यह तर्क आधारहीन एवं सारहीन है कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नियमों की पालना किये बिना ही अप्रार्थीगण के नाम मिली भगत से नियमन कर दिया। उनका कथन है कि विवादित भूमि भू–संशोधन से पूर्व से ही अप्रार्थीयों के पिता के कब्जे व काश्त में ही इसी कारण तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन

जिला कलक्टर
अजमेर

सलाहकार समिति द्वारा विचार करने के पश्चात ही नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1376 से अडती हुई होने के कारण वो ही एक मात्र नियमन के पात्र के साथ ही उनका तर्क है कि छोटी पटटी के रूप में यह जरूरी नहीं है कि जिसके नाम आवंटन किया गया हो वो भूमिहीन हो। उन्होने कहा कि वर्किंग जमाबंदी के अनुसार भी उनके पास इतनी भूमि नहीं है कि वे आवंटन के पात्र नहीं हो। साथ ही प्रार्थी का यह भी कथन है कि कब्जा प्रार्थी का हैं चूंकि तहसीलदार अजमेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2019 में कब्जा अप्रार्थी का ही माना गया हैं। अतः यह नियमन जो किया गया है उचित एवं विधि अनुसार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि राजस्व कैम्प राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार चलाये जाते हैं तथा कैम्प से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाता हैं कि नियमों में वांछित समस्त प्रकिया सम्बन्धित कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई हैं। अतः वकील प्रार्थी का तर्क है कि आवंटन/नियमन से पूर्व नियमों में निर्धारित प्रकिया की पालना नहीं की गई मानने योग्य नहीं हैं। जहां तक अप्रार्थियों को किये गये नियमन का प्रश्न है यह तहसीलदार की इस रिपोर्ट के आधार पर किया गया है कि अप्रार्थियों को भू–संशोधन के दौरान खातेदारी दे दी गई थी। वकील प्रार्थी का यह तर्क भी उचित नहीं हैं कि भू–संशोधन के दौरान विवादित भूमि पर्चा उसके नाम जारी किया गया था जो पर्चो की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है वह खसरा नम्बर 1375 से सम्बन्धित नहीं हैं। जहां तक अप्रार्थी भूमिहीन नहीं होने का प्रश्न है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबन्दी की छायाप्रति से भी यह प्रकट है कि दोनो अप्रार्थियों के खाते में कुल 7 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी सिंचित व 24 बीघा 13 बिस्वा 10 बिस्वांसी असिंचित भूमि जिसके आधार पर भी नियमन उचित प्रतीत होता हैं। प्रकरण में तहसीलदार अजमेर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./न्यायालय/2019/5491 दिनांक 24.10.2019 में अवगत कराया गया कि ग्राम अरड़का के वर्किंग ख0न0 1375 रकबा 03–01–00 जिसके हाल ख0न0 797 रकबा 0.49 बने हैं। जिसमें मौके पर भवानीसिंह दत्तक पुत्र गोपाल सिंह राजपूत द्वारा काश्त की हुई है तथा हाल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार नवीन ख0नं. 797 रकबा 0.49 भवानी सिंह दत्तक पुत्र गोपाल सिंह 1/2 हि. व पुष्पा कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह 1/2 हि. कौम राजपूत राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा चाचियावास के नाम दर्ज हैं।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया नियमन विधि अनुसार उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त किया जाता हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर